23

निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राजस्थान)

मिसल न0 83 / प्रा0पत्र / 23 तारीख दायरा 10.08.2023

राज0 सरकार जर्ये थानाधिकारी भवानीमण्डी झालावाड़
बनाम
अनिल पुत्र शिवनारायण

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 116 / 2023 थाना भवानीमण्डी जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते राजसात करने वाहन संख्या डब्ल्यू बी 75 ए 0897

मिसल नं0 87 / प्रा0पत्र / 23 तारीख दायरा 23.08.2023

''एयू.स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड''(जो पूर्व में''ए.यू. फाईनेन्र्सर्स(इंडिया)लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए,धुलेश्वर गार्डन,अजमेर रोड़,जयपुर जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

01. राज्य सरकार राजस्थान जरिये लोक अभियोजक
02. अनिल नायक

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 116 / 2023 थाना भवानीमण्डी जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 / 457 / 459 द0प्र0सं0 वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या डब्ल्यू बी 75 ए 0897

उपस्थितः– सहायक निदेशक अभियोजन
श्री अविनाश गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी
अनुपस्थितः–श्री गजेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी बैंक

–: **निर्णय** :– दिनांक :14.02.2024

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी थानाधिकारी थाना भवानी मण्डी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि पुलिस थाना भवानी मण्डी द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 व 11 के जुर्म में अप्रार्थी का एक वाहन डब्ल्यू बी 75 ए 0897 जप्त किया गया है। जिसमें 02 गोवंश बैल भरे हुए थे जिनके पैर बंधे हुए थे एवं एक दूसरे पर पड़े हुए मिले थे उक्त गौवंशों बेलों को निर्दयतापूर्वक भरकर परिवहन कर लाने ले जाने संबंधी कोई रसीद या दस्तावेज चाहा गया तो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार वाहन में 02 गोवंश बैल को पांव बांधकर निर्दयतापूर्वक भरकर कटने हेतु बिना दस्तावेज के लाने ले जाने का कृत्य अपराध राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 व 11 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाकर प्रश्नगत वाहन को राजसात करने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

प्रा0पत्र संख्या 88/23 प्रार्थी बैक "एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड द्वारा जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा0पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना भवानीमण्डी झालावाड़ द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9व 11 के जुर्म में प्रार्थी कंपनी का एक वाहन डब्ल्यू बी 75 ए 0897 जप्त किया गया है के संबध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451,457,459 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत जब्त किया गया वाहन एयू स्माल फायनेंस लि0 द्वारा फायनेंस होने पर उक्त वाहन पर अपना मालिकाना हक रहन पेटे बताया/जताया है जिसके संदर्भ में कंपनी द्वारा उक्त धाराओं के तहत प्रकरण निस्तारित कर वाहन संभलाये जाने की इस्तदुआ है।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन डब्ल्यू बी 75 ए 0897 को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। जप्त वाहन डब्ल्यू बी 75 ए 0897 में 02 नर गौवंश भरे होना व गोवंशों के परिवहन का अनुज्ञापत्र नहीं होना अंकन किया गया है ।

प्रकरण संख्या 83/प्रार्थना/23 में बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी का एक वाहन डब्ल्यू बी 75 ए 0897 को पुलिस द्वारा दिनांकः 04.04.2023 को जप्त किया गया है । प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रा0पत्र थानाधिकारी खारिज कर जप्त शुदा वाहन अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे।

प्रकरण संख्या 88/प्रार्थना/23 में अभिभाषक प्रार्थी बैंक अनुपस्थित रहने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। प्रकरण संख्या 88/23 वकील प्रार्थी के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप एकतरफा कार्यवाही करते हुए खारिज किया जाता है।

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त वाहन का अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार वाहन डब्ल्यू बी 75 ए 0897 में 02 नर गौवंश बैल भरे होना व पांव बंधे होना तथा अवैद्य परिवहन बाबत अंकन किया गया है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। अप्रार्थी द्वारा पशु खरीद बाबत कोई दस्तावेज या सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नही किये है। अतः गोवशं के अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्ठी होती है, अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से एक ही वाहन में 02 नर गोवश बैलों को पांव बांधकर निर्दयतपूर्वक ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 5,6,8,9 व 11 की पुष्टी करता है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रा0पत्र प्रार्थी थानाधिकारी स्वीकार किया जाता है। पुलिस थाना भवानीमण्डी झालावाड़ द्वारा प्र.सू.रि.स. 116/2023 में जप्त वाहन डब्ल्यू बी 75 ए 0897 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं इसी कम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना भवानीमण्डी को जप्त वाहन डब्ल्यू बी 75 ए 0897 को इस शर्त पर अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि अप्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी/अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना भवानीमण्डी झालावाड़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांकः 14.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़